

न्यायालय कलेक्टर (शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 58 / बी-121 / 2014-15

: आदेश ::


(आज दिनांक 17 / 08 / 2015 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कठठीवाडा के माध्यम से तहसीलदार कठठीवाडाका जॉच प्रतिवेदन प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 07.07.2015 को घटनास्थल ग्राम विनत तहसील कठठीवाडा में सड़क दुर्घटना (टेक्टर से गिर जाने पर) होने पर हिमांशु पिता मनीष जाति भील निवासी ग्राम पुनियावाट की मृत्यु होने पर आर्थिक अनुदान राशि रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार रूपये) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार कठठीवाडा के अभिमत से सहमत होकर पी.एम. रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार मृतक के निकटतम में उसके पिता मनीष पिता एल्बर्ट जाति भील निवासी ग्राम पुनियावाट तहसील कठठीवाडा को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/एफ-20-21/2012/1/4 भोपाल, दिनांक 16/07/2014 में निहित प्रावधान अनुसार सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर आर्थिक अनुदान सहायता राशि रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार रूपये) स्वीकृत किये जाते हैं।

उक्त व्यय मांग संख्या 01-लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम -800-अन्य व्यय- (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता -42 सहायता अनुदान -007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावें।



(शेखर वर्मा)
कलेक्टर

जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर दिनांक.....17/8/2015

पृ0क/ 241 / रीडर / 2015
प्रतिलिपि:-

- 1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
- 2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर
- 3 प्रभारी अधिकारी (वित्त-2) जिला अलीराजपुर । संलग्न बैंक खाते की छाया प्रति।
- 4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कठठीवाडा ।
- 5 तहसीलदार तहसील कठठीवाडा ।
- 6 जिला जन सम्पर्क अधिकारी अलीराजपुर की ओर ~~बतौर~~ प्रसार हेतु।
- 6 संबंधित मनीष पिता एल्बर्ट जाति भील निवासी ग्राम पुनियावाट तहसील कठठीवाडा की ओर सूचनार्थ।


कलेक्टर
जिला अलीराजपुर